



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 453 राँची, मंगलवार, 17 श्रावण, 1945 (श०)
8 अगस्त, 2023 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई 2023

सं0-03/अमीन नियमावली-126/2010-2445/रा0, -- भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत अमीन संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा-शर्त के निर्धारण हेतु "झारखण्ड राज्य अमीन संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्त) नियमावली, 2013 (यथा संशोधित)" में अमीन के सीधी नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

- यह नियमावली "झारखण्ड राज्य अमीन संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023" कहलाएगी ।
- इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. झारखण्ड राज्य अमीन संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2013 (यथा संशोधित) के नियम-4(क)(ii) के प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

	जिला स्तरीय पदों के संदर्भ में अभ्यर्थियों को मात्र एक जिला का विकल्प दिया जाएगा। <u>राज्य स्तरीय पद -</u> <table border="1" data-bbox="783 353 1428 701"> <tr> <th>क्र०सं०</th><th>विभाग का नाम</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>जल संसाधन विभाग</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>अन्य विभाग</td></tr> </table> <u>राज्य स्तरीय पदों के संदर्भ में नियुक्ति की प्रक्रिया:-</u> उपर्युक्त विभागों के राज्य स्तरीय पदों की अधियाचित रिक्तियों के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करते हुए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय पदों के संदर्भ में प्रत्येक अभ्यर्थी से विभिन्न विभागों का विकल्प अधिमानता क्रम में प्राप्त किया जाएगा। राज्य स्तरीय पदों के संदर्भ में एकल मेधा सूची का गठन किया जाएगा। मेधा सूची में अभ्यर्थियों के मेधा-सह-विकल्प एवं आरक्षण कोटिवार रिक्ति के आलोक में अनुशंसा प्रशासी विभाग को नियुक्ति हेतु प्रेषित की जाएगी। नोट:- जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय अमीन के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अलग-अलग विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।	क्र०सं०	विभाग का नाम	1.	जल संसाधन विभाग	2.	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	3.	अन्य विभाग
क्र०सं०	विभाग का नाम								
1.	जल संसाधन विभाग								
2.	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग								
3.	अन्य विभाग								

3. झारखण्ड राज्य अमीन संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2013 (यथा संशोधित) के नियम-5 (क) के प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
नियम-5 चयन प्रक्रिया-(क) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, गणित एवं सर्वेयर ट्रेड विषयों में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगी और सक्षम प्राधिकार	नियम-5 चयन प्रक्रिया-(क) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान, चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा, सामान्य ज्ञान, गणित एवं सर्वेयर ट्रेड विषयों में राज्य स्तरीय अमीन एवं जिला स्तरीय अमीन के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु खुली

पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
की अधियाचना के क्रमानुसार सम्बद्ध कार्यालय को मेधा सूची उपलब्ध करायेगी।	प्रतियोगिता परीक्षा (मात्र मुख्य परीक्षा) का आयोजन कर मेधा सूची तैयार करेगा तथा मेधा सूची से मेधा-सह-विकल्प एवं आरक्षण कोटिवार रिक्ति के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अधियाचना के आलोक में प्रशासी विभाग को अनुशंसा के साथ सूची उपलब्ध करायेगा।

4- झारखण्ड राज्य अमीन संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2013 (यथा संशोधित) के नियम-5 (ग)(क)(i) के प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान																														
नियम-5 (ग)(क)(i) लिखित परीक्षा- लिखित परीक्षा निम्नलिखित विषयों की होगी- क) सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, गणित, सर्वेयर ट्रेड एवं स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा/बोली परीक्षा की अवधि- 2 घंटे अंकों का विभाजन - <table><tr><th>क्र.</th><th>विषय</th><th>पूर्णांक</th><th>अभियुक्ति</th></tr><tr><td>1-</td><td>सामान्य हिन्दी</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>2-</td><td>सामान्य ज्ञान</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>3-</td><td>स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा/बोली</td><td>10</td><td>उत्तीर्णांक (Qualifying) 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।</td></tr><tr><td>4-</td><td>गणित</td><td>50</td><td>45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य</td></tr></table>	क्र.	विषय	पूर्णांक	अभियुक्ति	1-	सामान्य हिन्दी	45		2-	सामान्य ज्ञान	45		3-	स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा/बोली	10	उत्तीर्णांक (Qualifying) 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।	4-	गणित	50	45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य	नियम-5 (ग)(क) (i) लिखित परीक्षा- लिखित परीक्षा निम्नलिखित विषयों की होगी- हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान, चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा, सामान्य ज्ञान, गणित एवं सर्वेयर ट्रेड परीक्षा का स्वरूप - परीक्षा एक चरण (मात्र मुख्य परीक्षा) में ली जायेगी। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी जिसमें प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक प्रकृति के होंगे। अंकों का विभाजन - <table><tr><th>पत्र क्र.</th><th>विषय</th><th>पूर्णांक</th><th>अभियुक्ति</th></tr><tr><td rowspan="2">पत्र -I</td><td>हिन्दी भाषा ज्ञान</td><td>60</td><td rowspan="2">भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान</td></tr><tr><td>अंग्रेजी भाषा ज्ञान</td><td>60</td></tr></table>	पत्र क्र.	विषय	पूर्णांक	अभियुक्ति	पत्र -I	हिन्दी भाषा ज्ञान	60	भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान	अंग्रेजी भाषा ज्ञान	60
क्र.	विषय	पूर्णांक	अभियुक्ति																												
1-	सामान्य हिन्दी	45																													
2-	सामान्य ज्ञान	45																													
3-	स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा/बोली	10	उत्तीर्णांक (Qualifying) 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।																												
4-	गणित	50	45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य																												
पत्र क्र.	विषय	पूर्णांक	अभियुक्ति																												
पत्र -I	हिन्दी भाषा ज्ञान	60	भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान																												
	अंग्रेजी भाषा ज्ञान	60																													

पूर्व का प्रावधान				संशोधित प्रावधान			
			होगा।				में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।
5-	सर्वेयर ट्रेड	50	45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।				
खंड-1 (एक)- खंड-1 में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा/बोली के ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जायेंगे। हिन्दी विषय का प्रश्न पत्र उम्मीदवार की भाषा, ज्ञान तथा समझ की जांच के उद्देश्य से परिकल्पित होगा। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामायिक घटनाओं का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में दैनिक प्रेक्षण एवं अनुभव के ऐसे विषयों का ज्ञान जो एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित है। इस पत्र में भारतीय राजनीतिक प्रणाली सहित भारतीय राज्य तंत्र, झारखण्ड राज्य के बारे में पर्यावरणीय जागरूकता, भारतीय इतिहास एवं भूगोल के प्रश्न शामिल होंगे, जिसे उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी उत्तर दे सकें। हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान विषयों के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होंगे। स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा/बोली की ज्ञान संबंधी प्रश्न उत्तीर्णांक (Qualifying) प्रकृति के होंगे। इसमें 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी का नाम मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा जिला के लिए चिन्हित जनजातीय भाषा/क्षेत्रीय भाषाओं/बोली से प्रश्न (परिशिष्ट-I के अनुरूप) पूछे जायेंगे। जिन जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं/बोली की अपनी लिपि है, वे जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा/बोली का उत्तर उसी लिपि में देंगे। जिन जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं/बोली की अपनी							
				पत्र -II	चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा	100	चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
				पत्र -III	सामान्य ज्ञान	20	गणित एवं सर्वेयर ट्रेड में अलग-अलग 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
					गणित	40	
सर्वेयर ट्रेड	40						
				पत्र-I में हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र उम्मीदवार की भाषा, ज्ञान तथा समझ की जांच के उद्देश्य से परिकल्पित होगा। इसमें न्यूनतम अर्हत्तांक (30%) से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे। पत्र-II में स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा/बोली की ज्ञान संबंधी प्रश्न होंगे। चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी का नाम मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग			

पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
लिपि नहीं है, वे देवनागरी लिपि में उत्तर देंगे । खंड-2 (दो)- खंड-2 में गणित एवं सर्वेयर ट्रेड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। खंड-2 का पूर्णांक-100 होगा जिसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक दोनों विषयों में अलग-अलग 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी का नाम मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। गणित के प्रश्न पत्र इस उद्देश्य से परिकल्पित किये जायेंगे जिससे उम्मीदवार के गणितीय ज्ञान एवं क्षमता का पता चल सकें। सर्वेयर ट्रेड के प्रश्न पत्र इस उद्देश्य से परिकल्पित किये जायेंगे जिससे भूखंड की माप, सर्वे, नक्शा पठन एवं नक्शा के निर्माण की क्षमता का पता चल सके ।	की अधिसूचना सं0-1428, दिनांक-10.03.2023 द्वारा राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय पदों के लिए चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा- हिन्दी/अंग्रेजी/ उर्दू/ संथाली/बंगला/मुंडारी(मुंडा)/हो/खड़िया/ कुँडुख (उराँव)/ कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे । इस संदर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/अधिसूचना प्रभावी होंगे । जिन जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं/बोली की अपनी लिपि है, वे जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा/बोली का उत्तर उसी लिपि में देंगे। जिन जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं/बोली की अपनी लिपि नहीं है, वे देवनागरी लिपि में उत्तर देंगे । इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 (सौ) बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे । पत्र-III में सामान्य ज्ञान, गणित एवं सर्वेयर ट्रेड से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामयिक घटनाओं का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में दैनिक प्रेक्षण एवं अनुभव के ऐसे विषयों का ज्ञान जो एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित है। इस पत्र में भारतीय राजनीतिक प्रणाली सहित भारतीय राज्य तंत्र, झारखण्ड राज्य के बारे में पर्यावरणीय जागरूकता, भारतीय इतिहास एवं भूगोल के प्रश्न शामिल होंगे, जिसे उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी उत्तर दे सकें। गणित के प्रश्न इस उद्देश्य से परिकल्पित किये जायेंगे जिससे उम्मीदवार के गणितीय ज्ञान एवं क्षमता का पता चल सकें । सर्वेयर ट्रेड के प्रश्न इस उद्देश्य से परिकल्पित किये जायेंगे जिससे भूखंड की माप, सर्वे, नक्शा पठन एवं नक्शा के निर्माण की क्षमता का पता चल सके ।

पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
	गणित एवं सर्वेयर ट्रेड विषयों में अलग-अलग 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी का नाम मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मेधा सूची का निर्धारण पत्र-II एवं पत्र-III में प्राप्त अंकों को जोड़कर निर्धारित किया जायेगा।

5. अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. झारखण्ड राज्य अमीन संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2013 (यथा संशोधित) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे एवं मूल नियमावली 2013 (यथा संशोधित) के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अमिताभ कौशल)

सरकार के सचिव।
